

कार्यालय जिला पंचायत उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

कार्यालय दूरभाष क्र.-07868-241282, फैक्स क्र.-07868-241482, ई-मेल nrlmkanker@gmail.com



HR क्रमांक/13641 /जि.पं./DAY, NRLM/2024-25

कांकेर, दिनांक 20/02/2025

--: संविदा नियुक्ति हेतु विज्ञापन :--

मिशन संचालक, विकास आयुक्त कार्यालय, SRLM प्रकोष्ठ, विकास भवन, सेक्टर-19, नवा रायपुर का पत्र क्र./3357/वि-6/NRLM/HR&A/2025 नवा रायपुर दिनांक 17.01.2025 में दिए निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन 'बिहान' के अंतर्गत कार्यालय जिला पंचायत कांकेर द्वारा विभिन्न जिला मिशन एवं विकासखण्ड मिशन कार्यालयों में निम्नानुसार स्वीकृत/रिक्त पद एकमुश्त मासिक वेतन आधार पर भरे जाने हेतु पदवार निर्धारित आरक्षण एवं अर्हता के अनुसार योग्यता रखने वाले पात्र आवेदकों से दिनांक 19.10.4.25 को सायं 5:00 बजे तक कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत उ.ब. कांकेर (छ.ग.) के नाम से पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किया जाता है। आवेदन करने हेतु वेबसाइट www.kanker.gov.in जिले की वेबसाइट में दिये गये स्वीकृत/रिक्त पदों पर भर्ती से संबंधित सभी जानकारी/नियम-शर्तें, पदवार निर्धारित योग्यता/अर्हता, पदवार आरक्षण आदि की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तथा निर्धारित तिथि एवं समय तक आवेदन कर सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से सीधे आवेदन अथवा ई-मेल अथवा अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से स्वीकार नहीं किये जायेंगे। निर्धारित तिथि के उपरांत प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।

जिलों के लिये स्वीकृत/रिक्त पदों पर भर्ती जिलों के द्वारा की जायेगी, प्रत्येक पद के लिये अलग-अलग आवेदन करना अनिवार्य है।

पदों का विवरण:-

क्र.सं.	पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या	अनारक्षित					अन्य पिछडा वर्ग					अनुसूचित जाति					अनुसूचित जनजाति					महायोग									
			मुक्त	महि.	विक.	शू.सै0	योग	मुक्त	महि.	विक.	शू.सै0	योग	मुक्त	महि.	विक.	शू.सै0	योग	मुक्त	महि.	विक.	शू.सै0	योग	मुक्त	महि.	विक.	शू.सै0	योग					
1	विकासखण्ड परियोजना प्रबंधक (जनपद पंचायत)	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
2	लेखापाल (जिला पंचायत जनपद पंचायत)	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	-	-	2	
3	लेखा सह एम आई एस सहायक (जिला पंचायत जनपद पंचायत)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	
4	भृत्य (जिला पंचायत)	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	
योग:-			5	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	5	0	0	0	5	

शैक्षणिक योग्यता एवं चयन हेतु मेरिट अंक:-

क्र.	पद का नाम एवं आरक्षण	पद संख्या	एक मुश्त संविदा मासिक वेतन	न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता एवं वांछित योग्यता	मेरिट हेतु अंक निर्धारण	अंक
1	2	3	4	5	6	7
1	विकासखण्ड परियोजना प्रबंधक (जनपद पंचायत 01)	01	39875.00	न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से स्नातकोत्तर/समकक्ष उपाधि। अनुभव स्नातकोत्तर उपाधि उपरांत विकासखण्ड/क्लस्टर स्तर के पद का न्यूनतम 02 वर्ष का गरीबी उन्मूलन/ग्रामीण आजीविका संबंधी क्षेत्र का शासकीय/अर्द्धशासकीय/शासकीय विलत पोषित/शासन से अनुदान प्राप्त गैर-शासकीय संस्था से अनुभव।	स्नातकोत्तर में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का weightage देते हुए स्नातक में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का weightage देते हुए 12वीं में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का weightage देते हुए न्यूनतम वांछित अनुभव के पश्चात प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए अनुभव 02 अंक एवं अधिकतम 10 अंक छ.ग. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव के लिए 01 अंक एवं अधिकतम 05 अंक साक्षात्कार	35 20 20 10 05 10
	अनारक्षित- 01 मुक्त					

MS

[Signature]

2	लेखापाल (जिला पंचायत 01 एवं जनपद पंचायत 01)	02	23350.00	न्यूनतम शैक्षणिक आर्हता 1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य विषय में स्नातक उत्तीर्ण। 2. मान्यता प्राप्त संस्था/ विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर में एक वर्षीय डिप्लोमा एवं टेली सर्टिफिकेट। अनुभव स्नातक उपरांत लेखा से संबंधित 02 वर्षीय शासकीय/अर्द्धशासकीय/शासकीय वित्त पोषित/शासन से अनुदान प्राप्त गैर-शासकीय संस्था से अनुभव।	स्नातक में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का weightage देते हुए	35
	अनारक्षित- 01 मुक्त			12वीं में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का weightage देते हुए	20	
	अ.ज.जा.- 01 मुक्त			10वीं में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का weightage देते हुए	20	
3	लेखा सह एम.आई. एस. सहायक (जनपद पंचायत 01)	01	23350.00	न्यूनतम शैक्षणिक आर्हता 1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य विषय में स्नातक उत्तीर्ण। 2. मान्यता प्राप्त संस्था/ विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर में एक वर्षीय डिप्लोमा एवं टेली सर्टिफिकेट। अनुभव स्नातक उपरांत लेखा से संबंधित 02 वर्षीय शासकीय/अर्द्धशासकीय/शासकीय वित्त पोषित/शासन से अनुदान प्राप्त गैर-शासकीय संस्था से अनुभव।	न्यूनतम वांछित अनुभव के पश्चात प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए अनुभव 02 अंक एवं अधिकतम 10 अंक	10
					छ.ग. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव के लिए 01 अंक एवं अधिकतम 05 अंक	05
					कौशल परीक्षा	10
	अ.ज.जा.- 01 मुक्त			स्नातक में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का weightage देते हुए	35	
				12वीं में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का weightage देते हुए	20	
				10वीं में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का weightage देते हुए	20	
4	भृत्य	01	14400.00	न्यूनतम शैक्षणिक आर्हता मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा आठवीं उत्तीर्ण। अनुभव न्यूनतम एक वर्ष का भृत्य का अनुभव अनिवार्य (शासकीय/अर्द्धशासकीय/शासकीय वित्त पोषित/शासन से अनुदान प्राप्त गैर-शासकीय संस्था से अनुभव)।	न्यूनतम वांछित अनुभव के पश्चात प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए अनुभव 02 अंक एवं अधिकतम 10 अंक	10
					छ.ग. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव के लिए 01 अंक एवं अधिकतम 05 अंक	05
					कौशल परीक्षा	10
	अनारक्षित- 01 मुक्त			न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का weightage देते हुए	85	
				न्यूनतम वांछित अनुभव के पश्चात प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए अनुभव 02 अंक एवं अधिकतम 10 अंक	10	
				छ.ग. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव के लिए 01 अंक एवं अधिकतम 05 अंक	05	

आवेदन करने हेतु नियम एवं शर्तें :-

- संविदा नियुक्ति छ.ग. शासन द्वारा जारी संविदा नियम 2012 में निहित शर्तों के अनुसार ही जावेगी।
- संविदा नियुक्ति अधिकतम 1 वर्ष के लिये होगी। तत्पश्चात आवश्यकता होने पर कार्य योग्यता, कार्य क्षमता एवं व्यवहार विभाग के आवश्यकता के आधार पर शासन के निर्देशानुसार दोनों पक्षों की सहमति से कार्य अवधि एक वर्ष के लिये निरंतर रखे जाने पर विचार किया जा सकता है। संविदा नियुक्ति की अवधि की समाप्ति पर संविदा नियुक्ति स्वयंमेव समाप्त मानी जावेगी।
- संविदा अवधि में छ.ग. सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के तहत अवकाश की पात्रता होगी।
- संविदा नियुक्ति के पद पर की गई नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है, एवं बिना कारण बताए कभी भी समाप्त की जा सकती है। संविदा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।
- सेवा समाप्ति के पश्चात संविदा अधिकारी/कर्मचारी के रूप में दी गई सेवा अवधि हेतु किसी भी प्रकार की पेंशन, उपादान या मृत्यु लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को छ.ग. का मूल निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।
- छ.ग. सिविल सेवा (संविदा भर्ती नियम) 2012 के अनुसार दिनांक 01.01.2025 की तिथि में न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी समय-समय पर आयु सीमा में छूट संबंधी आदेश/निर्देश संविदा नियुक्ति के लिये लागू होंगे।
- आयु की गणना दिनांक 01.01.2025 की स्थिति में किया जाएगा।

MSis


[Signature]

9. आयु संबंधी प्रमाण पत्र के लिए हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल अथवा मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र मान्य होगा।
10. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति/निवास प्रमाण पत्र ही मान्य किया जायेगा।
11. आवेदन के साथ वांछित प्रमाण पत्रों एवं अंक सूची स्वप्रमाणित होने चाहिए। वांछित प्रमाण पत्र सत्यापित नहीं होने पर आवेदन अमान्य कर दिया जावेगा। इसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा।
12. आवेदन पत्र प्रारूप के अनुसार ए-4 साईज आकार के कागज पर आवेदन करें। आवेदन पत्र पूर्ण रूप से साफ-साफ अक्षरों में भरा जाना चाहिए। आवेदन पत्र में पासपोर्ट साईज का स्वयं का सत्यापित नवीनतम रंगीन फोटो चिपकाना एवं स्वयं का पता लिखा दो लिफाफा (5रु. डाक टिकट के साथ) संलग्न करना अनिवार्य है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन एवं कार्यालय में सीधे प्राप्त आवेदन स्वीकार्य नहीं होंगे।
13. लिफाफे के ऊपर एवं आवेदन पत्र में पद का नाम, जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है, स्पष्ट उल्लेख किया जावे। अपूर्ण/स्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा एवं आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा। जिसके लिये आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा।
14. शासकीय, अर्द्धशासकीय, स्वशासी संस्थानों में नियमित पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को अपने नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।
15. यह नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्र. एफ 9-1/2012/1-3 दिनांक 31.12.2012 एवं अद्यतन निर्देश के अनुसार संविदा नियुक्ति के संबंध में समस्त शर्तें लागू होंगे।
16. संविदा पद पर नियुक्त व्यक्ति छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 से शासित होंगे।
17. कुल प्राप्त आवेदनों को निर्धारित मापदण्डों के अनुसार परीक्षण उपरांत पात्र अपात्र की सूची तैयार कर दावा आपत्ति हेतु जिले की वेबसाइट में अपलोड कर जिला पंचायत के नोटिस बोर्ड में चस्था की जायेगी।
18. दावा आपत्ति के निराकरण तैयार सूची के आधार पर अभ्यर्थियों को प्रत्येक विज्ञापित पद के लिये रिक्त पद के विरुद्ध 20 गुना अभ्यर्थियों को (1:20 मान से) साक्षात्कार एवं कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा (जहां भी लागू हो) के लिए बुलावा पत्र रजिस्टर्ड डाक एवं ई-मेल के माध्यम से प्रेषित किया जायेगा। तद्उपरांत प्रायोगिक परीक्षा एवं साक्षात्कार (जहां भी लागू हो)में प्राप्त अंकों को जोड़ते हुए अंतिम चयन सूची तैयार की जावेगी। सर्वोच्च अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थी को नियुक्ति दिया जावेगा एवं 05 आवेदकों को प्रतिक्षा सूची में रखा जावेगा। भविष्य में पद रिक्त होने पर उसे प्रतिक्षा सूची से भरा जावेगा, जो कि अंतिम चयन सूची जारी होने के दिनांक से 01 वर्ष के लिए मान्य होगी।
19. अनुभव प्रमाण-पत्र (आवेदित पद हेतु निर्धारित योग्यता से संबंधित हो) केवल शासकीय/अर्द्धशासकीय/शासकीय वित्त पोषित/शासन से अनुदान प्राप्त गैर-शासकीय संस्थाओं के ही मान्य होंगे। समकक्ष पद से संबंधित अनुभव होने पर ही अभ्यर्थी को नियमानुसार अनुभव अंक प्रदान किये जायेंगे।
20. आवेदन करने के समय अनुभव प्रमाण-पत्र जारी करने वाले संस्थान का नाम पूर्ण पता व अनुभव हेतु जारी कार्यालय आदेश क्र., दिनांक एवं जारीकर्ता अधिकारी का नाम एवं पदनाम, संपर्क हेतु संबंधित का दूरभाष नंबर तथा ईमेल की जानकारी अनिवार्य रूप से दिया जावे। अन्यथा इसके अभाव में आवेदक द्वारा दिये गये अनुभव का मान्य न करते हुए अपात्र की श्रेणी में रखा जायेगा-जिसके लिये आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा। साथ ही जारी अनुभव प्रमाण-पत्र हेतु आवेदक को निरंतर 01 वर्ष प्रमाणित पे-स्लीप एवं बैंक स्टेटमेंट प्रस्तुत करना अनिवार्य है। पदवार अनुभव हेतु प्रस्तुत दस्तावेज मान्य/अमान्य किये जाने के संबंध में अंतिम निर्णय चयन समिति के पास सुरक्षित होगा।
21. यदि किसी आवेदक के अंकसूची में प्रतिशत अंके उल्लेखित न होकर सिर्फ ग्रेड दिया गया हो तो उन आवेदकों को उस ग्रेड का औसत प्रतिशत अंक प्रदान किया जावेगा।





22. समान अंक पाने वाले अभ्यर्थियों की पारस्परिक वरियता उनके उम्र के आधार पर निर्धारित की जावेगी, जिसके अनुसार अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी का चयन पहले किया जावेगा।
23. मूल प्रमाण पत्रों की जांच/कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा एवं साक्षात्कार उपरांत योग्य अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश संबंधित अधिकारी द्वारा जारी किया जावेगा।
24. आवेदन पत्र दिनांक 19.10.2025.....को सायं 05.00 बजे तक पंजीकृत/स्पीड पोस्ट से जिला पंचायत कांकेर को अनिवार्य रूप से प्राप्त हो जाना चाहिए।
25. प्राप्त आवेदनों के संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत उ.ब. कांकेर का निर्णय अंतिम एवं सर्व मान्य होगा।
26. यदि आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियुक्ति प्रक्रिया में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करता है या प्रभावित करने की कोशिश करता है, तो अभ्यर्थी की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी।
27. नियुक्ति आदेश के पूर्व समस्त मूल प्रमाण पत्रों की जांच सही पाये जाने पर ही नियुक्ति आदेश प्रदान किया जावेगा।
28. नियुक्ति के पश्चात जिला चिकित्सालय द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अयोग्य पाये जाने की स्थिति में नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
29. मिशन संचालक SRLM, विकास आयुक्त कार्यालय, अटल नगर नवा रायपुर के निर्देशानुसार नियमों में परिवर्तन मान्य है।


मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत उ.ब. कांकेर